रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 1999/आषाढ़ 11, 1921
No. 401] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 1999/ASADHA 11, 1921

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1999

का. आ. 530(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री अशोक कुमार ए. मैदासानी ने, तारीख 29-7-1998 को यह अभिकथन करते हुए, एक याचिका प्रस्तुत की थी कि संसद् (राज्यसभा) के आसीन सदस्य श्री वेद प्रकाश गोयल ने, महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के निदेशक बोर्ड के निदेशक और अध्यक्ष का पद धारण करके संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1)(क) के अधीन निरर्हता उपगत की है;

और, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन उक्त याचिका के संदर्भ में, निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी;

और, निर्वाचन आयोग की यह राय है (उपाबंध देखिए) कि वह निरर्हता, जिससे श्री वेद प्रकाश गोयल ग्रस्त अभिकथित किए गए हैं, उनके निर्वाचन की तारीख से पूर्व और उस तारीख को विद्यमान थी और इसलिए, यह निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है, न कि निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हता का। यह सुस्थापित सांविधानिक स्थिति है कि ऐसी निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन उठाया या राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता और परिणामस्वरूप, निर्वाचन आयोग को भी ऐसी अभिकथित निरर्हता के मामले में कोई राय व्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद, 103(1) के निबंधनों के अनुसार, वर्तमान याचिका राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं, के. आर. नारायणन, भारत का राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार ए. मैदासानी की पूर्वोक्त याचिका खारिज करता हूं।

जून 23, 1999

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11026/1/99-वी. II]

रघबीर सिंह, सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

गणपूर्ति

माननीय श्री जी.वी.जी.कृष्णमूर्ति
निर्वाचन आयुक्त

माननीय श्री जे.एम.लिंगडोह
निर्वाचन आयुक्त

1998 का निर्देश मामला संख्यांक 2

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

संदर्भः संसद् (राज्यसभा) के आसीन सदस्य श्री वेद प्रकाश गोयल की अभिकथित निरर्हता ।

राय

संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त तारीख 10 अक्तूबर, 1998 के इस निर्देश में, इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या राज्य सभा के आसीन सदस्य श्री वेद प्रकाश गोयल, संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्रहता के अधीन हो गए हैं अथवा नहीं ।

2. उपर्युक्त निर्देश, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन श्री अशोक कुमार ए.मैदासानी द्वारा 29 जुलाई, 1998 को भारत के राष्ट्रपति को दी गई एक याचिका से उद्भूत हुआ है । उक्त याचिका में याची ने, यह अभिकथन किया है कि श्री वेद प्रकाश गोयल महाराष्ट्र राज्य सरकार की 16 दिसम्बर, 1995 की एस.एफ.सी.1094/सी.आर.952/आई.एन.डी.7 संख्यक अधिसूचना द्वारा 16 दिसम्बर, 1995 से महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के निदेशक नियुक्त किए गए थे । इसके समर्थन में याची ने, याचिका के उपाबंध-क के रूप में उक्त अधिसूचना की एक प्रति संलग्न की है । याची ने, अपनी याचिका में यह भी कहा है कि श्री वेद प्रकाश गोयल बाद में महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे ।

3. याची ने यह अभिकथन किया है कि महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के निदेशक का पद और उसके अध्यक्ष का पद संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) (क) के अर्थान्तर्गत लाभ के पद हैं । अपनी बात को साबित करने के लिए याची ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के निदेशक और अध्यक्ष के पद, "महाराष्ट्र विधान-मंडल सदस्य-निरर्हता निराकरण अधिनियम, 1956" के अधीन लाभ के पद घोषित किए गए हैं, किंतु इन पदों के धारकों के बारे में उस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से यह घोषित किया गया है कि वे उस राज्य के विधान-मंडल के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं हैं । किन्तु याची का यह भी कहना है कि उक्त पद संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में लाभ के पद घोषित नहीं किए गए हैं,जिनके धारक संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होंगे । इसलिए, याची का तर्क है कि महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष और निदेशक के पद लाभ के पद हैं जिनके धारक संसद् सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित हैं ।

4. याची ने महाराष्ट्र सरकार की तारीख 18-4-1996 की उस अधिसूचना की एक प्रति भी (याचिका के उपाबंध-ख के रूप में) संलग्न की है जिसमें महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष के पद से श्री वेद प्रकाश गोयल का तारीख 10-3-1998 का त्यागपत्र स्वीकार किया गया है ।

5. आयोग द्वारा उपर्युक्त याचिका के परिशीलन और सुसंगत तथ्यों की जांच से पता लगता है कि श्री वेद प्रकाश गोयल, फरवरी, 1996 में हुए द्विवार्षिक निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । उक्त द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 12 के अधीन अधिसूचना 2-2-1996 को जारी की गई थी । याची के कथनानुसार, श्री वेद प्रकाश गोयल ने, 8-2-1996 को द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अपना नामांकन पत्र फाइल किया था । उक्त निर्वाचन के लिए मतदान 19-2-1996 को हुआ था और निर्वाचन का परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया गया था । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 155 के उपबंधों के अनुसार, राज्य सभा के सदस्य के रूप में श्री वेद प्रकाश गोयल की पदावधि, उनके निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ हो गई थी । इस मामले में, अधिसूचना 3-4-1996 को जारी की गई थी ।

6. उपर्युक्त तथ्यों और याची के कथनों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि श्री वेद प्रकाश गोयल, राज्य सभा के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन की तारीख को महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के निदेशक और अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे । इस प्रकार, वह निरर्हता, जिससे उन्हें ग्रस्त अभिकथित किया गया है, 19-2-1996 को उनके **निर्वाचन से पूर्व और उस तारीख को** विद्यमान थी । दूसरे शब्दों में, यदि ऐसा है भी तो यह **निर्वाचन पूर्व** निरर्हता का मामला है, न कि ऐसी निरर्हता का जो उन्होंने अपने पूर्वोक्त निर्वाचन के **पश्चात्** उपगत की है या वे उससे ग्रस्त हो गए हैं ।

7. स्वयं याची ने, अपनी याचिका के पैरा 12 में उक्त तथ्य को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसने यह कहा है कि-

> "इस प्रकार, जो प्रश्न अवधारित किया जाना है, वह यह है कि-
>
> प्रत्यर्थी श्री वेद प्रकाश गोयल, राज्य सभा में अपने निर्वाचन की तारीख, अर्थात् 19 फरवरी, 1996 को और उस तारीख को, जिसमें उन्होंने राज्य सभा में स्थान अर्जित किया, अर्थात् 3 अप्रैल, 1996 को, संविधान के अनुच्छेद 102के खंड (1) के उपखंड (क) मे उल्लिखित निरर्हता से ग्रस्त थे या नहीं ?"

8. यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति को निरर्हता के ऐसे प्रश्न को ही विनिश्चित करने की अधिकारिता है जिससे संसद् का कोई आसीन सदस्य **अपने निर्वाचन के पश्चात्** ग्रस्त हो जाता है । परिणामतः, संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए जाने पर अभिकथित निरर्हता के प्रश्नों की जांच करने में आयोग की अधिकारिता भी, **निर्वाचन पश्च निरर्हता** के मामलों मे ही पैदा होती है । निर्वाचन पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निरर्हता, जिससे कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन के समय या उसके पूर्व ग्रस्त था, के किसी प्रश्न को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के अधीन निर्वाचन अर्जी द्वारा ही उठाया जा सकता है, किसी अन्य रीति से नहीं । इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय के, (i) निर्वाचन आयोग बनाम सक वेंकट राव (ए आई आर, 1953, एससी, 210), (ii) ब्रुन्दावन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (ए आई आर 1965, एस सी 1892) (iii) निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी.रंगा (ए आई आर, 1978, एस सी 1609) आदि, में दिए गए अनेक विनिश्चयों को देखा जा सकता है ।

9. तथापि, भारत के राष्ट्रपति को अपनी राय देने के पूर्व, आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अनुसार, अपनी याचिका के चलाए जाने योग्य होने के प्रश्न पर याची को, या तो व्यक्तिगत रूप से या सम्यक्तः नियुक्त किए गए वकील के माध्यम से, 5-2-1999 को व्यक्तिगत सुनवाई का एक अवसर देना वांछनीय समझा । तदनुसार, याची को, याचिका में दिए गए उसके पते पर 16-12-1998 को एक सूचना जारी की गई थी । सूचना रजिस्टर्ड डाक और साथ ही साधारण डाक द्वारा भेजी गई थी । साधारण डाक द्वारा भेजी गई सूचना डाक प्राधिकारियों द्वारा अपरिदत्त लौटा दी गई थी । तब, सूचना जिला निर्वाचन आफिसर, जलगांव, जो जिला कलक्टर भी हैं, को याची पर तामील करने के लिए भेजी गई थी । जिला निर्वाचन आफिसर, जलगांव ने, अपने तारीख 28-1-1999 के पत्र में आयोग को सूचित किया कि याची श्री अशोक कुमार ए.मैदासानी भुसावल के पते पर निवास नहीं कर रहे हैं और एक वर्ष से वह मुंबई

में हैं । उनका मुंबई का पता ज्ञात नहीं है । तहसीलदार भुसावल ने, उक्त सूचना याची के घर पर चिपका दी थी और उस आशय का एक पंचायतनामा तैयार किया गया था ।

10. याची, 5-2-1999 को नियत सुनवाई के लिए हाजिर नहीं हुआ । फिर भी, आयोग ने, याची को इस विषय में 31-3-1999 को सुने जाने का एक और अवसर देने का विनिश्चय किया । इस बार, आयोग ने, 22-2-1999 को, मुख्य निर्वाचन आफिसर, महाराष्ट्र के माध्यम से सूचना जारी की । उन्होंने याची को उक्त सूचना, आयोग की सूचना के परिदान के प्रतीकस्वरूप समुचित रसीद लेकर, परिदत्त किए जाने की व्यवस्था की ।

11. आयोग की सूचना के अनुसरण में, याची सुनवाई के लिए नियत तारीख 31-3-1999 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुआ । आयोग द्वारा पूछे जाने पर उसने अपनी याचिका में अपने इस प्रकथन की पुष्टि की कि श्री वेद प्रकाश गोयल, 19-2-1996 को अपने निर्वाचन की तारीख पर महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे । किन्तु, उसने यह तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने, उनकी याचिका को ग्रहण कर लिया है, अतः आयोग को उसके चलाए जाने योग्य होने के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी । उसने इस विषय में और लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा । आयोग ने उसका अनुरोध मान लिया और अनुरोध के अनुसार, एक सप्ताह का समय दे दिया । याची ने, तदनुसार, 7-4-1999 को एक और लिखित कथन प्रस्तुत किया ।

12. याचिका, लिखित कथन और याची द्वारा दिए गए और लिखित निवेदनों तथा 31-3-1999 को सुनवाई के समय उसकी मौखिक स्वीकृति के परिशीलन से यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है कि श्री वेद प्रकाश गोयल 19-2-1996 को अपने निर्वाचन की तारीख पर महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के निदेशक और अध्यक्ष का पद भी धारण कर रहे थे । यदि ऐसे पद धारण करने से, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन यदि कोई निरर्हता होती भी है तो वह निर्वाचन पूर्व निरर्हता होगी । ऊपर निर्दिष्ट सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को देखते हुए, ऐसी निरर्हता का प्रश्न, निर्वाचन पूर्व निरर्हता, यदि है भी तो, का मामला होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष उठाया नहीं जा सकता अथवा उनके द्वारा उसका विनिश्चय नहीं किया जा सकता, और इसके परिणामस्वरूप, निर्वाचन आयोग को भी ऐसी अभिकथित निरर्हता के मामले पर कोई राय व्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार, राष्ट्रपति के समक्ष वर्तमान याचिका, इस प्रकार चलाने योग्य नहीं है । आयोग ने, इस प्रकार के बहुत से मामलों में, जो राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए थे, ऐसा ही विचार पहले भी व्यक्त किया है ।

13. तदनुसार, वर्तमान मामले में, राष्ट्रपति के सचिवालय से प्राप्त निर्देश, भारत निर्वाचन आयोग की पूर्वोक्त आशय की राय के साथ लौटाया जा रहा है ।

(जी.वी.जी.कृष्णमूर्ति)
निर्वाचन आयुक्त

(जे.एम.लिंगडोह)
निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली
तारीख: 21 अप्रैल, 1999

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 1999

S.O. 530(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

O R D E R

Whereas, a petition, dated 29.7.1998 had been presented by Shri Ashok Kumar A. Maidasani alleging that Shri Ved

Prakash Goyal, a sitting Member of Parliament (Rajya Sabha) has incurred disqualification under clause (1)(a) of article 102 of the Constitution of India, for holding the Offices of Director and Chairman of Board of Directors of Maharashtra State Financial Corporation;

And whereas, the opinion of the Election Commission was sought under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said petition;

And whereas the Election Commission is of the opinion (vide annex.) that the disqualification from which Shri Ved Prakash Goyal is alleged to have been suffering, subsisted prior to, and on the date of his election and hence, it is a case of pre-election disqualification, and not a case of disqualification which is incurred after election. It is well settled Constitutional position that the question of such pre-election disqualification cannot be raised or decided by the President under article 103(1) of the Constitution and consequently, the Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the case of such alleged disqualification. The present petition before the President in terms of article 103(1) of the Constitution is thus non-maintainable;

Now, therefore, I, K.R. Narayanan, President of India, do hereby dismiss the aforesaid petition of Shri Ashok Kumar A. Maidasani.

JUNE 23, 1999 **PRESIDENT OF INDIA**

[F. No. H-11026/1/99-Leg. II]

RAGHBIR SINGH, Secy.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION
OF INDIA

CORAM :

Hon'ble Shri G.V.G.Krishnamurty
Election Commissioner

Hon'ble Shri J.M.Lyngdoh
Election Commissioner

Reference Case No.2 of 1998

[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India]

In re: Alleged disqualification of Shri Ved Prakash Goyal, Sitting Member of Parliament (Rajya Sabha).

OPINION

This is a reference dated 10th October, 1998 from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission, under Article 103 (2) of the Constitution of India, on the question whether Shri Ved Prakash Goyal, a sitting member of the Rajya Sabha, has become subject to disqualification for being a member of that House under Article 102 (1) of the Constitution of India.

2. The above reference has arisen on a petition dated 29th July, 1998, made by Shri Ashok Kumar A. Maidasani, to the President of India under Article 103 (1) of the Constitution. In the said petition, the petitioner has alleged that Shri Ved Prakash Goyal was appointed as a Director of the Maharashtra State Financial Corporation, with effect from 16th December, 1995, vide Notification No.SFC1094/CR952/IND.7, dated 16th December, 1995, of the Government of

Mahrashtra. In support of this, the petitioner has attached a copy of the said Notification as Annexure-A to the petition. The petitioner has also stated in his petition that Shri Ved Prakash Goyal was subsequently appointed as Chairman of the Board of Directors of the Maharasthra State Financial Corporation.

3. The petitioner has alleged that the office of Director and office of Chairman, Maharashtra State Financial Corporation are offices of profit within the meaning of clause (1) (a) of Article 102 of the Constitution. To prove his point, the petitioner has stated that the offices of Director and Chairman of the Maharashtra State Financial Corporation have been declared as offices of profit under the "Maharashtra Legislature Members - Removal of Disqualifications Act, 1956", but the holders of these offices have been specifically declared by that Act as not being disqualified for being chosen as, and for being, members of the Legislature of that State. But the said offices, the petitioner points out, have not been declared by the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 as offices of profit, the holders whereof shall not be disqualified for being a Member of Parliament. Therefore, the petitioner contends that the offices of Chairman and Director of the Maharasthra State Financial Corporation are offices of profit, holder of which is disqualified for being chosen as, and for being, a Member of Parliament.

4. The petitioner has also annexed a copy of the Notification dated 18.4.1996 of the Maharashtra Government (as Annexure-B to the petition) accepting the resignation dated 10.3.1998 of Shri Ved Prakash Goyal, from the office of Chairman, Maharashtra State Financial Corporation.

5. The perusal of the above petition and the examination of the relevant facts by the Commission shows that Shri Ved Prakash Goyal was elected to the Rajya Sabha from the State of Maharashtra at the Biennial Election held in February, 1996. Notification under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 for the said biennial election was issued on 2.2.1996. As per the statement of the petitioner, Shri Ved Prakash Goyal filed his nomination paper for the biennial election on 8.2.1996. Poll for the said election was taken on 19.2.1996 and the result of election was also declared on the same date. As per the provisions of Section 155 of Representation of the People Act, 1951, the term of office of Shri Ved Prakash Goyal, as a member of the Council of States, commenced from the date of notification of his election. In this case, the notification was issued on 3.4.1996.

6. From the above facts and the statements of the petitioner, it is unambiguously clear that Shri Ved Prakash Goyal was holding the office of Director and Chairman, Maharashtra State Financial Corporation on the date of his election as a Member of the Council of States. Thus, the disqualification, from which he is alleged to have been suffering, subsisted prior to, and on the date, of his election on 19.2.1996. In other words, it is a case of pre-election disqualification, if at all. and not a case of disqualification which he incurred or to which he became subject after his aforesaid election.

7. The petitioner himself has conceded the above fact in Para 12 of his petition wherein he has stated that -

"Hence, the question which is to be determined is -

Whether the Respondent Shri Ved Prakash Goyal was on the

date of his election to the Council of States i.e. 19th February, 1996, and on the date on which he acquired a seat in the Council of States i.e. 3rd April, 1996, was subject to the disqualification mentioned in sub-cause (a) (1) of Article 102 of the Constitution?"

8. It is well settled that under Article 103 (1) of the Constitution, the President has jurisdiction to decide only such question of disqualification to which a sitting member of Parliament becomes subject after his election. Consequently, the jurisdiction of the Commission to enquire into questions of alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103 (2) of the Constitution, also arises only in cases of post- election disqualification. Any question of pre-election disqualification. i.e,. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to, his election can be raised only by means of an election petition under Article 329 (b) of the Constitution read with Part VI of the Representation of the People Act, 1951, and in no other manner. Reference is invited in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in (i) Election Commission Vs. Saka Venkata Rao - (AIR 1953 SC 210); (ii) Brundaban Naik Vs. Election Commission - (AIR 1965 SC 1892); (iii) Election Commission Vs. N.G. Ranga - (AIR 1978 SC 1609); etc.

9. However, before tendering opinion to the President of India, the Commission considered it desirable to give an opportunity of personal hearing to the petitioner on 5.2.1999, either personally or through a duly appointed lawyer, on the question of maintainability of his petition in terms of Article 103 (1) of the

Constitution. Accordingly, a notice was issued on 16.12.1998 at the address of the petitioner as given in the petition. The notice was issued by means of registered post as well as by ordinary post. The notice sent by ordinary post was returned undelivered by the postal authorities. The notice was then sent to the District Election Officer, Jalgaon who is also the District Collector, for service on the petitioner. The District Election Officer, Jalgaon, in his letter dated 28.1.1999, informed the Commission that the petitioner Shri Ashok Kumar A. Maidasani has not been residing at the address at Bhuswal and that for the last one year he is in Mumbai. His Mumbai address is not known. The Tehsildar, Bhuswal pasted the said notice on the house of the petitioner and a panchanama was made to that effect.

10. The petitioner did not turn up for the hearing fixed on 5.2.1999. However, the Commission decided to afford the petitioner another opportunity of being heard in the matter on 31.3.1999. This time, the Commission issued the notice to the petitioner on 22.2.1999, through the Chief Electoral Officer, Maharashtra, Mumbai. He arranged to deliver the said notice to the petitioner on 15.3.1999, against proper receipt in token of delivery of the Commission's notice.

11. In pursuance of the Commission's notice, the petitioner appeared in person before the Commission at the hearing fixed for 31.3.1999. On a query from the Commission, he confirmed his averment in his petition that Shri Ved Prakash Goyal was holding the office of Chairman, Maharashtra State Financial Corporation on the date of his election on 19.2.1996. But he contended that the

President having entertained his petition, the Commission was not required to go into the question of its maintainability. He prayed for a week's time to submit further written statement in the matter. The Commission acceded to his request and granted a week's time, as prayed for. The petitioner accordingly submitted a further written statement on 7.4.1999.

12. The perusal of the petition, written statement and further written submissions furnished by the petitioner, and his oral admission at the hearing on 31.3.1999, show unequivocally that Shri Ved Prakash Goyal was holding the office of Director, and also of the Chairman of the Maharashtra State Financial Corporation on the date of his election on 19.2.1996. If the holding of such office attracted any disqualification, if at all, under Article 102 (1) (a) of the Constitution, that would be a pre-election disqualification. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of such disqualification being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under Article 103 (1) of the Constitution, and, consequently, the Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the case of such alleged disqualification. The present petition before the President in terms of Article 103 (1) of the Constitution, is thus non-maintainable. A similar view has already been expressed by the Commission in a large number of similar cases, referred to it, by the President and States Governors.

13. The reference received from the President's Secretariat in the present case is accordingly returned with the opinion of the Election Commission of India to the above effect.

(G. V. G. Krishnamurty)
Election Commissioner

(J. M. Lyngdoh)
Election Commissioner

New Delhi
Dated : 21st April, 1999

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.